E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

दिनांकः 02 अगस्त, 2013
परिपत्र संख्या–अका॰ 49/2013

विषयः NVEQF के तहत यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक {National Occupation Standard (NOS)} पर टिप्पणियों के लिए अनुरोध

प्रिय समस्तगण,

राष्ट्रीय व्यवसाय मानक एक ऐसा मानदण्ड है जो किसी संगठन में एक विशेष व्यावसायिक भूमिका में कार्य करने वाले एक कर्मचारी से अपेक्षित वांछनीय प्रदर्शन के मापदण्डों का वर्णन करता है। NOS संबंधित कार्यस्थल में प्रदर्शन करने के लिए अपेक्षित आवश्यक कौशलों, मूल्यों तथा ज्ञान का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। साथ ही NOS यह भी बताता है कि आपको क्या जानने की आवश्यकता है और अच्छी तरह से एक काम को करने में सक्षम होने के लिए आपको क्या करना चाहिए।

NOS योग्यता, प्रदर्शन, भर्ती के लिए मानकों को निर्धारित करने में सहायता करने के साथ ही प्रमुख परिणाम क्षेत्रों एवं मूल्यांकनों को परिभाषित करने में भी मदद करता है।

MHRD, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार CBSE के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के लिए ''भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान'' के विशेषज्ञों के परामर्श से चार कार्य भूमिकाओं के साथ राष्ट्रीय व्यवसाय मानक को तैयार किया गया है। इसकी प्रति संलग्नक 'क' में सार्वजनिक सम्मति के लिए अपलोड कर दी गई है।

इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी बहुमूल्य टिप्पणी/विचार/प्रतिपुष्टि को 25 अगस्त 2013 तक voc.cbse@gmail.com पर भेजें ताकि हम बताए गए NOS को अंतरिम रूप देने में सक्षम हो सकें।

आपकी मूल्यवान टिप्पणियों/विचारों/प्रतिपुष्टियों की हार्दिक तौर पर सराहना की जाएगी।

भवदीय

डॉ॰ बिष्वजीत साहा

कार्यक्रम अधिकरी (व्यावसायिक)